न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 183/2022

1. कल्याण पुत्र श्योकरण
2. रामगोपाल पुत्र श्योकरण
3. लालचंद पुत्र श्योकरण
4. सीताराम पुत्र श्योकरण (फौत)
   4/1 शांतिदेवी पत्नि सीताराम
   4/2 श्रवण पुत्र सीताराम
   4/3 मुकेश पुत्र सीताराम
   जाति कुम्हार नि0 बोबास तह0 जोबनेर

वादीगण

बनाम

1. बिदाम देवी पत्नि भंवरलाल जाति कुमावत निवासी आसलपुर तह0 जोबनेर
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :— श्री हनुमान जाखड विद्वान अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :— 28/08/2023

निर्णय

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 78/1/0.78 एवं 78/2/0.01 हैक्टर बांके ग्राम बोबास तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता/दादा का हिस्सा 1/2 था। उक्त आराजी में से वादीगण के पिता/दादा ने दिनांक 22.05.1995 को 1/9 हिस्से की भूमि का बेचान जरिए रजि0 विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को किया था। इस आधार पर प्रतिवादीया का 1/9 हिस्से का नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व कार्मिकों की गलती से सम्पूर्ण भूमि 2/9 हिस्से का नामान्तरण दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में मेरे द्वारा रिकार्ड शुद्धि के काफी प्रयास किए गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड शुद्ध नहीं किया गया। प्रतिवीदया से भी 1/9 हिस्सा वापिस करने का निवेदन किया गया। परन्तु प्रतिवादीया द्वारा भी साफ इंकार कर दिया गया। इसलिए मुझे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। अतः दावा

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

वादीगण का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 78/1/0.78 एवं 78/2/0.01 हैक्टर वांके ग्राम बोवास तह0 जोबनेर में प्रतिवादीया के दर्ज हिस्सा 2/9 में से 1/36–1/36 हिस्सा वादीगण संख्या 1ल03 तथा 1/108–1/108 हिस्सा वादीगण संख्या 4/1ल04/3 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीया संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। जिनके विरूद्ध दिनांक 20.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 31/05/2023 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाव इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 78/1/0.78 एवं 78/2/0.01 हैक्टर वांके ग्राम बोवास तह0 जोबनेर में स्थित है। इसमें श्योकरण का हिस्सा 1/2 था। उक्त आराजी में से श्योकरण ने दिनांक 22.05.1995 को 1/2 हिस्से में से 2/9 हिस्से की भूमि का बेचान जरिए रजि0 विक्रय पत्र विदामदेवी पत्नि भंवरलाल को किया था। इस आधार पर प्रतिवादीया के पक्ष में कुल भूमि का 1/9 हिस्से का नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था। परन्तु नामान्तरण दर्ज करते समय हिस्सा 2/9 दर्ज हो गया। जो कि गलत है। विक्रय पत्र के अनुसार 2/9 के स्थान पर क्रेता का हिस्सा 1/9 दर्ज किया जाना उचित है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77, विक्रय पत्र दिनांक 22.05.95 तथा नामान्तरण संख्या 878 दिनांक 28.07.95 पेश किया है।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाव तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 78/1/0.78 एवं 78/2/0.01 हैक्टर वांके ग्राम बोवास तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता/दादा का हिस्सा 1/2 था। उक्त आराजी में से वादीगण के पिता/दादा ने दिनांक 22.05.1995 को 1/2 हिस्से में से 2/9 हिस्से की भूमि का बेचान जरिए रजि0 विक्रय पत्र विदामदेवी पत्नि भंवरलाल को किया था। जिसकी पुष्टि रजि0 विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1995 के अवलोकन से होती है। इस आधार पर प्रतिवादीया के पक्ष में कुल भूमि का 1/9 हिस्से का नामान्तरण दर्ज होना चाहिए था। परन्तु नामान्तरण दर्ज करते समय

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

हिस्सा 2/9 दर्ज हो गया। जिसकी पुष्टि नामान्तरण संख्या 878 दिनांक 05.07.1995 के अवलोकन से होती है। जो कि गलत है। यह एक लिपिकिय त्रुटि है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 एवं 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम बोबास के खाता संख्या 204 में प्रतिवादीया विदामदेवी पत्नि भंवरलाल का हिस्सा 2/9 के स्थान पर 1/9 किया जावे तथा शेष हिस्सा 1/9 का नामान्तरण श्योकरण के विधिक वारिसान की जांच कर हिस्से अनुसार नाम दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ★ जोबनेर जिला जयपुर ★

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण).